

कार्यालय पंचायत समिति झल्लारा जिला सलूमबर

E-ID - bdo.jhallara@gmail.com

क्रमांक: पसझ/निर्माण/2025-26/SDRF/ 628

दिनांक - 3/10/2025

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
जिला सलूमबर

विषय:- SDRF योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्य का तकमिना भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवदेन है कि SDRF योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्य का तकमिना तैयार कर श्रीमान की सेवामें अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क. स.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	प्रशासनिक स्वीकृति		त.स्वी. राशि
			क्रमांक	दिनांक	
1	आंगनबाडी भवन पानगामडा	माण्डली	539	18/09/2025	2.50
2	आंगनबाडी भवन माण्डली	माण्डली	539	18/09/2025	2.50
3	आंगनबाडी भवन सलावता 1	कराकला	539	18/09/2025	2.50
4	आंगनबाडी भवन किरबस्ती	कराकला	539	18/09/2025	2.50
5	आंगनबाडी भवन हिकावाडा	अमलोदा	539	18/09/2025	2.50
6	आंगनबाडी भवन कुण्डली 1	कराकला	539	18/09/2025	2.50
7	आंगनबाडी भवन बोरज	मालपुर	539	18/09/2025	2.50
8	आंगनबाडी भवन बरोलिया	मालपुर	539	18/09/2025	2.50
9	आंगनबाडी भवन बरा	मालपुर	539	18/09/2025	2.50
10	आंगनबाडी भवन तेजपुरा	देवगाव	539	18/09/2025	2.50
11	आंगनबाडी भवन कलुथडा	देवगाव	539	18/09/2025	2.50
12	आंगनबाडी भवन ओडा	झरमाल	539	18/09/2025	2.50
13	आंगनबाडी भवन केनर	धौलागरखैडा	539	18/09/2025	2.50
14	आंगनबाडी भवन धौलागरखैडा	धौलागरखैडा	539	18/09/2025	2.50
15	आंगनबाडी भवन समरझप	सरवणी	539	18/09/2025	2.50
16	आंगनबाडी भवन जोगीफला	शेषपुर	539	18/09/2025	2.50


विकास अधिकारी
पंचायत समिति झल्लारा

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), सलूमर

क्रमांक: सहायता/बाढ/2025/539

दिनांक 18.09.2025

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ के कारण क्षतिग्रस्त विद्यालय/चिकित्सा/आंगनवाड़ी/पंचायत भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु उपखण्ड अधिकारी सलूमर के पत्रांक 1197 दिनांक 08.08.2025 द्वारा उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्राप्त प्रस्ताव पर संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एक-8(23) आ.प्र. एवं सहा./बाढ/प्रस्ताव/2025/राजकाज 17784817 जयपुर दिनांक 16.09.2025 के क्रम में कार्यालय बाल विकास परियोजना झल्लारा ब्लॉक झल्लारा के 18 कार्य हेतु राशि रुपये 45.00 लाख की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

कार्यकारी ऐजेन्सी :- ग्राम पंचायत

क्र.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति/विद्यालय भवन का नाम	एसडीआरएफ भापदण्डों के अनुसार दर राशि लाखों में	एसडीआरएफ मद से स्वीकृत मरम्मत योग्य राशि लाखों में
1	झल्लारा	आंगनवाड़ी भवन	तेजपुरा	2.5	2.5
2	झल्लारा	आंगनवाड़ी भवन	राजपुरा	2.5	2.5
3	झल्लारा	आंगनवाड़ी भवन	कलुशडा	2.5	2.5
4	झल्लारा	आंगनवाड़ी भवन	हिकावाडा	2.5	2.5
5	झल्लारा	आंगनवाड़ी भवन	किर बस्ती	2.5	2.5
6	झल्लारा	आंगनवाड़ी भवन	कुण्डली 1	2.5	2.5
7	झल्लारा	आंगनवाड़ी भवन	सलावता 1	2.5	2.5
8	झल्लारा	आंगनवाड़ी भवन	पानागमडा	2.5	2.5
9	झल्लारा	आंगनवाड़ी भवन	भाण्डली	2.5	2.5
10	झल्लारा	आंगनवाड़ी भवन	जोगी फला	2.5	2.5
11	झल्लारा	आंगनवाड़ी भवन	ओडा	2.5	2.5

12	झल्लारा	आंगनवाड़ी भवन	केनर	2.5	2.5
13	झल्लारा	आंगनवाड़ी भवन	घोलागिर खेडा	2.5	2.5
14	झल्लारा	आंगनवाड़ी भवन	धावडा	2.5	2.5
15	झल्लारा	आंगनवाड़ी भवन	बोरज	2.5	2.5
16	झल्लारा	आंगनवाड़ी भवन	सामरझप	2.5	2.5
17	झल्लारा	आंगनवाड़ी भवन	बरोलिया	2.5	2.5
18	झल्लारा	आंगनवाड़ी भवन	बारा	2.5	2.5

कार्य कराने में निम्न शर्तों की पालना की जावे :-

1. उक्त कार्यो को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशंषा की है।
2. कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तिया PWD & AR के अनुसार मान्य होगी।
3. विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नोर्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग नवनों की मरम्मत पर न करें।
4. उक्त कार्य SDR/NDAR के नियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावे।
5. ये सम्पत्तिया जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
6. कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होने आवश्यक है।
7. कराये गये कार्यो का भुगतान के लिए इस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित एजेन्सी को अपने विभागीय मद से करना होगा।

8. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।

9. कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आवश्यक कर लेवे एसडीआरएफ नोर्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत एवं पुर्नरुद्धार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जाये।

10. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी

11. स्वीकृति में दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्यो को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।
12. क्षतिग्रस्त कार्यो को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।
13. उक्त स्वीकृति के विरुद्ध क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के केवल रिपेयर एवं रेस्टोरेशन के ही कार्य कराये जावे। नया निर्माण कार्य नहीं करावाया जावे।
14. कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRF के मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुसार ही कराया गया है। तभी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।
15. राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं S.D.R.F. के नोर्म्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।
16. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवया जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
17. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अत्यकालीन निविदाएं आमंत्रित कर कार्य कराए जा सकेंगे।

इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगा :-

- 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
- 02- बाढ़ चक्रवात आदि।
- 107- खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
- (02)- (बाढ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत)
- (01)- (बाढ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत)
- 21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स)(पी)


अखेश शीना
जिला कलक्टर,
सलूम्बर

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), सलूमर
क्रमांक: सहायता / बाढ / 2025 / 539

दिनांक 18.09.2025

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा / बाढ के कारण क्षतिग्रस्त विद्यालय / शिक्षालया / आंगनवाडी / पंचायत भवनों की तात्कालिक मरम्मत मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु उपखण्ड अधिकारी सलूमर के पत्रांक 1197 दिनांक 08.08.2025 द्वारा उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अनुशेषा सहित प्राप्त प्रस्ताव पर संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एक-8(23) आ.प्र. एवं सहा. / बाढ / प्रस्ताव / 2025 / राजकाज 17784817 जयपुर दिनांक 16.09.2025 के क्रम में कार्यालय बाल विकास परियोजना झल्लारा ब्लॉक झल्लारा के 18 कार्य हेतु राशि रुपये 45.00 लाख की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।
कार्यकारी ऐजेन्सी :- ग्राम पंचायत

क्र.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति / विद्यालय भवन का नाम	एसडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार दर राशि लाखों में	एसडीआरएफ मद से स्वीकृत मरम्मत योग्य राशि लाखों में
1	झल्लारा	आंगनवाड़ी भवन	तेजपुरा	2.5	2.5
2	झल्लारा	आंगनवाड़ी भवन	राजपुरा	2.5	2.5
3	झल्लारा	आंगनवाड़ी भवन	कलुखडा	2.5	2.5
4	झल्लारा	आंगनवाड़ी भवन	हिकावाडा	2.5	2.5
5	झल्लारा	आंगनवाड़ी भवन	किर बस्तो	2.5	2.5
6	झल्लारा	आंगनवाड़ी भवन	कुण्डली 1	2.5	2.5
7	झल्लारा	आंगनवाड़ी भवन	सलावता 1	2.5	2.5
8	झल्लारा	आंगनवाड़ी भवन	पुनमानडा	2.5	2.5
9	झल्लारा	आंगनवाड़ी भवन	भारडली	2.5	2.5
10	झल्लारा	आंगनवाड़ी भवन	खोली कला	2.5	2.5
11	झल्लारा	आंगनवाड़ी भवन	ओडा	2.5	2.5

12	झल्लारा	आंगनवाड़ी भवन	कैनर	2.5	2.5
13	झल्लारा	आंगनवाड़ी भवन	धोलागिर खेडा	2.5	2.5
14	झल्लारा	आंगनवाड़ी भवन	धावडा	2.5	2.5
15	झल्लारा	आंगनवाड़ी भवन	बोरज	2.5	2.5
16	झल्लारा	आंगनवाड़ी भवन	सामरझप	2.5	2.5
17	झल्लारा	आंगनवाड़ी भवन	बरोलिया	2.5	2.5
18	झल्लारा	आंगनवाड़ी भवन	बारा	2.5	2.5

कार्य कराने में निम्न शर्तों की पालना की जावे :-

1. उक्त कार्यो को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशंषा की है।
2. कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तिया PWDB & AR के अनुसार मान्य होगी।
3. विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों की मरम्मत पर न करें।
4. उक्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावे।
5. ये सम्पत्तिया जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
6. कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होने आवश्यक है।
7. कराये गये कार्यो का भुगतान के लिए इस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित एजेन्सी को अपने विभागीय मद से करना होगा।
8. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।
9. कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आवश्यक कर लेवे एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत एवं पुर्नरूद्धार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जाये।
10. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी

11. स्वीकृति में दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्य को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।
12. क्षतिग्रस्त कार्य को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।
13. उक्त स्वीकृति के विरुद्ध क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के केवल रिपेयर एवं रेस्टोरेशन के ही कार्य कराये जावे। नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जावे।

14. कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य S.O.M के मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुसार ही कराया गया है। तभी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।

15. राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं S.D.R.F. के नोर्म्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।

16. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्ष की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशास पर सिवाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाया जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

17. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएं आमंत्रित कर कार्य कराए जा सकेंगे।

इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगा :-

2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02- बाढ़ चक्रवात आदि।

107- खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना

(02)- (बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत)

(01)- (बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत)

21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स)(पी)


अबनेसा भीना

जिला कलक्टर,

सालुम्बर

क्रमांक: सहायता / बाढ / 2025 /

दिनांक 18.09.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु :-

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर ।
2. सम्माननीय आयुक्त महोदय उदयपुर सम्मान उदयपुर ।
3. उपखण्ड अधिकारी झल्लारा
4. महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला सलूम्बर ।
5. बाल विकास परियोजना अधिकारी, सलूम्बर
6. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला सलूम्बर
7. रक्षित प्रति


ज्योती कुम्भार,
सलूम्बर

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक:- एफ.8(23)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/

जयपुर, दिनांक

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 57/2025-28

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरुत्थान हेतु जिला कलक्टर, सलूम्बर को निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. विद्यालय भवन हेतु:-

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरुत्थापना हेतु जिला कलक्टर, सलूम्बर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 495 दिनांक 13.08.2025 के आधार पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, लसाडिया तह. लसाडिया के 131 कार्यों हेतु राशि रुपये 262.00 लाख एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, झल्लारा तह. झल्लारा के 45 कार्यों हेतु राशि रुपये 90.00 लाख, कुल 176 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रुपये 352.00 लाख (अक्षरे रुपये तीन करोड़ बावन लाख मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

2. चिकित्सा भवन हेतु:-

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त चिकित्सा भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरुत्थापना हेतु जिला कलक्टर, सलूम्बर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 495 दिनांक 13.08.2025 के आधार पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लसाडिया तह. लसाडिया के 02 कार्यों हेतु राशि रुपये 4.00 लाख कुल 02 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रुपये 4.00 लाख (अक्षरे रुपये चार लाख रुपये मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

3. आंगनवाड़ी भवनों हेतु:-

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त आंगनवाड़ी भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरुत्थापना हेतु जिला कलक्टर, सलूम्बर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 495 दिनांक 13.08.2025 के आधार पर महिला एवं बाल विकास विभाग, तह. लसाडिया के 34 कार्यों हेतु राशि रुपये 85.00 लाख एवं महिला एवं बाल विकास विभाग, तह. झल्लारा के 18 कार्यों हेतु राशि रुपये 45.00 लाख कुल 52 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रुपये 130.00 लाख (अक्षरे रुपये एक करोड़ तीस लाख रुपये मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2025.09.16 17:37:55 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17784817
eSign 1.0



4. पंचायत/राजकीय भवनों हेतु:-

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त पंचायत/राजकीय भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु जिला कलेक्टर, सलूमबर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 495 दिनांक 13.08.2025 के आधार पर पंचायत समिति लसाडिया, तह. लसाडिया के 17 कार्यों हेतु राशि रुपये 42.50 लाख कुल 17 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रुपये 42.50 लाख (अक्षरे रुपये बयालिस लाख पचास हजार रुपये मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यक्षीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

कुल 176 विद्यालय भवनों हेतु राशि रुपये 352.00 लाख एवं कुल 02 चिकित्सा भवनों हेतु राशि रुपये 4.00 लाख, कुल 52 आंगनबाड़ी भवनों हेतु राशि रुपये 130.00 लाख एवं कुल 17 पंचायत/राजकीय भवनों हेतु राशि रुपये 42.50 लाख कुल 247 कार्यों हेतु राशि रुपये 528.50 लाख (अक्षरे रुपये पांच करोड़ अठ्ठाईस लाख पचास हजार मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यक्षीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

1. विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों के Restoration पर न करें।
2. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।
3. जिला कलेक्टर विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए बजट की मांग एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार निर्धारित दर से गणना किये जाने के उपरान्त ऑनलाईन विभाग से करें।
4. बजट सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5. वे कार्य जो Defect Liability Period के तहत आती हैं, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है।
6. जिला कलेक्टर बजट की ऑन लाईन मांग किये जाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लें कि बजट की मांग SDRF नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के Restoration हेतु विभाग द्वारा जारी क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जाये।
7. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
8. जिला कलेक्टर स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
9. जिला कलेक्टर उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।
10. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाये जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2025.09.16 17:37:55 IST
Reason: Approved

11. इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।
इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगा:-
2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
02- बाढ़, चक्रवात आदि।
107- खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
(02)-(बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत)
[01]-[बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत]
21-अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस) (केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत)
(राज्य निधि 25 प्रतिशत)
12. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पाकालीन निविदाएं आमंत्रित कर कार्य कराए जा सकेंगे।
13. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजनाके दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
14. उक्त राशि का व्यय एसडीआरएफ नोर्म्स में अनुमत राजकीय भवनों के लिये ही किया जावे।
15. विभाग द्वारा स्वीकृत की गई राशि का उपयोग जिन भवनों का उपयोग किया जा रहा है, उन भवनों की मरम्मत हेतु ही किया जावे।
16. निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।
17. निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावे। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2026 तक राजकोष में जमा करवाई जावे।
18. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखे जावे।

(भगवत सिंह)
शासन संयुक्त सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2025.09.16 17:37:55 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. जिला कलक्टर, सलूमबर को प्रेषित कर लेख है कि एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार आवश्यक बजट की गणना कर बजट की मांग विभाग से ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में करें तथा आपके द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक रूप से ऑनलाईन मांग के साथ अपलोड करावें।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी झल्लारा, तह. झल्लारा के चिकित्सा भवनों के प्राप्त प्रस्तावों में उप स्वास्थ्य केन्द्रों की मांग की गई है, जो नोर्म्स अनुसार अनुमत नहीं है। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया है।

पंचायत समिति लसाडिया, तह. लसाडिया के प्रस्तावों में क्र.सं. 07 में विश्राम घर एवं क्र. सं 19 में ग्राम सेवा क्वार्टर हेतु राशि की मांग की गयी है, जो नोर्म्स अनुसार अनुमत नहीं है। प्रस्ताव के शेष कार्यों को स्वीकृत किया गया है।

पंचायत समिति झल्लारा तह. झल्लारा के राजकीय भवन मरम्मत के प्रस्तावों में विश्रान्ति ग्रह, खाद्यान भण्डार, बस स्टेण्ड मरम्मत आदि हेतु राशि की मांग की गयी है, जो नोर्म्स अनुसार अनुमत नहीं है। अतः उक्त प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए नोर्म्स अनुसार संशोधित कर प्रस्ताव भिजवाने का श्रम करे।

स्वच्छ परियोजना लसाडिया तह. लसाडिया के मॉ-बाडी भवन मरम्मत के प्रस्तावों में विश्रान्ति ग्रह, खाद्यान भण्डार, बस स्टेण्ड मरम्मत आदि हेतु राशि की मांग की गयी है, जो नोर्म्स अनुसार अनुमत नहीं है। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया है।

अ.वि.वि.एन.एल. लसाडिया तह. लसाडिया विद्युत परिसम्पत्तियों की मरम्मत के कार्य नोर्म्स अनुसार जो विभाग अपने स्वयं के राजस्व का अर्जन करते हैं, और अपने स्वयं के धन/संसाधनों से तत्काल मरम्मत/पुनर्स्थापन कार्य भी करते हैं, को नोर्म्स अनुसार स्वीकृत नहीं किया जा सकता। उक्त प्रस्तावों को स्वीकृत नहीं किया गया है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, लसाडिया तह. लसाडिया के कुंए की मरम्मत के प्रस्ताव में नोर्म्स से अधिक राशि की मांग की गयी है। नोर्म्स अनुसार कुंओं की सफाई कार्य हेतु राशि रु. 10,000/- ही अनुमत है। कुंए की मरम्मत किया जाना अनुमत नहीं है। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया है।

8. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को बजट का आवंटन किये जाने हेतु।
9. कोष कार्यालय, सलूमबर।

शासन संयुक्त सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2025.09.16 17:37:55 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17784817
eSign 1.0